

नेवई ट्रेचिंग ग्राउंड का निगम भिलाई एवं 'बीएसपी प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक बिंदु पर चर्चा की गई

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री एस0 के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार आज नेवई ट्रेचिंग ग्राउण्ड में डम्प होने वाले कचरे का सूचारु रूप से निष्पादन एवं आग पर नियंत्रण के लिए गठित दल के सदस्यों द्वारा मौके का निरीक्षण कर बैठक ली गई।

नगर पालिक निगम, भिलाई एवं भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा ट्रेचिंग ग्राउण्ड में लाये जाने वाले कचरे सुखा एवं गीला मिलाकर लाया जा रहा है। जिसे वर्तमान परिस्थिति में पृथक-पृथक कर लाये जाने की कार्यवाही त्वरित गति से की जानी है जिससे कि सुखे कचरे का पृथक्कीकरण (सेग्रीगेट) कर एवं गीले कचरे को कम्पोजिट कर उसको अंतिम डिस्पोजल की कार्यवाही की जा सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में विहित प्रावधानों के अनुसार कचरे को ऐट सोर्स पृथक-पृथक प्राप्त किया जाना है जिससे कि सुखा कचरा को ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक लाने की स्थिति न हो। इस प्रक्रिया से ट्रेचिंग ग्राउण्ड में लगने वाली आग से बचाव हो सके। ट्रेचिंग ग्राउण्ड मिक्स कचरा पड़ा हुआ है उसपर लगी हुई आग को नियंत्रित करने एवं आग को बुझाने एवं भविष्य में आग लगने पर नियंत्रण के लिए फायर बिग्रेड एवं टैंकर के माध्यम से पूर्णतः गीला किये जाने की तत्काल कार्यवाही किया जाये।

भिलाई इस्पात संयंत्र एवं निगम क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में एसएलआरएम सेंटर का निर्माण किया जावे जहां पर शहर का कचरा पृथक्कीकरण किया जाकर अंतिम डिस्पोजल की कार्यवाही हो सके गीले कचरे को भी एसएलआरएम सेंटर के आसपास एकत्रित कर कम्पोस्टिंग कर अंतिम डिस्पोजल की जाये। ट्रेचिंग ग्राउण्ड में वर्तमान में पड़े कचरे का अंतिम डिस्पोजल करने के संबंध में किसी विशेषज्ञ से प्राप्त कर डीपीआर तैयार कराकर डिस्पोजल की कार्यवाही की जावे। वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड के आसपास बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जाये। जिससे असामाजिक तत्व द्वारा आग नहीं लगा सके। ट्रेचिंग ग्राउण्ड के पास एसएलआरएम सेंटर का निर्माण करें जिससे शहर से आने वाले मिक्स कचरे का पृथक्कीकरण का अंतिम डिस्पोजल की कार्यवाही की जा सके के संबंध में बैठक ली गई।

जनसम्पर्क अधिकारी

